

राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर।

क्रमांक :- पृ० १(१) कार्मिक / नि.चि. / ३१/०६/१५३६


दिनांक - ५/८/६६

कार्यालय-आदेश

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड चिकित्सा विनियम १९७० के अन्तर्गत हाउसिंग बोर्ड कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधाओं में विरतार करते हुये निम्नलिखित चिकित्सालयों को मण्डल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के साथ चिकित्सा उपयोग हेतु मान्यता दी जाती है। निम्न चिकित्सालयों द्वारा इन्डोर पेशेंट पर 10 प्रतिशत तथा जीवी पर 20 प्रतिशत की छूट देय होगी।

1. सुभम हास्पिटल, वी ५९ कमला नेहरू नगर विस्तार प्रथम, जोधपुर
2. गोयल हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्राइलि०, ९६१/३ रेज़ीडेन्सी रोड, जोधपुर
3. सुधा हास्पिटल एण्ड मेडीकल रिसर्च सेन्टर प्राइलि०, ११ए तलवडी, झालावाड़ रोड, कोटा
4. सोलकी हास्पिटल, १० रामकुटीर, नागली का चौराहा, अलवर
5. मित्तल हास्पिटल, कृषि उपज मण्डी के पास, अलवर
6. कोठारी मेडीकल एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, गजनगर रोड, वीकानेर
7. टेमोर हास्पिटल एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, सेक्टर ७ शिंपा पथ, मध्यम मार्ग, मानसरोवर, जयपुर
8. मंगलम हास्पिटल, आदर्श नगर, जयपुर


उक्त आदेश को अध्यक्ष महोदय वा अनुमोदन प्राप्त है तथा मण्डल के निर्णय की पूर्व अपेक्षा में जारी किया जाता है।



सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख निजी सचिव-अध्यक्ष/आवा.आयुक्त/मुख्य अभियंता राज०आ०मण्डल,जयपुर।
2. व०नि०स०-सचिव/वि०स० एवं मुख्यलेखाधिकारी, राज०आ०मण्डल,जयपुर।
3. अति० मुख्य अभियंता राज०आ०मण्डल,जयपुर / जोधपुर।
4. उप आवासन आयुक्त वृत राज०आ०म०।
5. आवासीय अभियंता खण्ड राज०आ०म०।
6. संबंधित हास्पिटल।
7. समस्त प्रकार मुख्यालय राज०आ०मण्डल,जयपुर।
8. नोटिस बोर्ड / राज० पत्रावली



सचिव